महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – संतानवां संस्करण (माह जनवरी, 2026)

''पहल'' के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. इन्दौर में बनाया पर्यावरण के अनुकूल प्रोटोटाईप आवास
3. जिला पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया
4. महिला हितैषी ग्राम पंचायत निर्माण में सकारात्मक महिला त्रिकोण की भूमिका – केस स्टडी
5. "पारदर्शिता एवं जबावदेही की वजह से सुनिश्चित हुई समुदाय की सहभागिता" – केस स्टडी
6. "पंचायत दर्पण" पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया से ग्राम पंचायत की विविध स्रोतों (करारोपण) से दो गुना से अधिक बढ़ी आय
7. समग्र विकास, नवाचार एवं सुशासन का सशक्त मॉडल ग्राम पंचायत बमीठा

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

श्रीमती दीपाली रस्तोगी (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक

श्री अरविन्द यादव,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्री एस.के. सचान,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com

Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का 97वां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2026 का प्रथम मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में CSEB के उपयोग के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इन्दौर संभाग के समस्त जिलों से 150 से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। प्रशिक्षण में राजमिस्त्रियों को CSEB ईंट के निर्माण के संबंध में संस्थान के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी समय में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रत्येक जनपद पंचायतों में मॉडल आवास बनाये जाना प्रस्तावित है। जिसे **''इन्दौर में बनाया पर्यावरण के अनुकूल प्रोटोटाईप आवास''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसके साथ–साथ संस्करण में **''जिला पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया'', ''महिला हितैषी ग्राम पंचायत निर्माण में सकारात्मक महिला त्रिकोण की भूमिकाः ग्राम पंचायत करही कोठार, जिला सतना, मध्य प्रदेश की एक केस स्टडी'', '' 'पारदर्शिता एवं जबावदेही की वजह से सुनिश्चित हुई समुदाय की सहभागिता' मध्यप्रदेश की साईखेड़ा विकासखण्ड की खुरसीपार ग्राम पंचायत की केस स्टडी'', '' 'पंचायत दर्पण' पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया से ग्राम पंचायत की विविध स्रोतों (करारोपण) से दो गुना से अधिक बढ़ी आय''** केस स्टडी एवं **''समग्र विकास, नवाचार एवं सुशासन का सशक्त मॉडल ग्राम पंचायत बमीठा, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)''** सफलता की कहानी को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 'पहल' का यह संस्करण रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

अरविन्द यादव
संचालक

इन्दौर में बनाया पर्यावरण के अनुकूल प्रोटोटाईप आवास

मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इन्दौर में पर्यावरण के अनुकूल आवास का निर्माण किया गया है। यह आवास शून्य कार्बन उत्सर्जन एवं हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में तैयार किया गया है। इस आवास की डिजाईन ट्रांसफार्म रुरल इण्डिया (TRI) संस्था द्वारा बनाई गई है। यह आवास CSEB (कन्प्रेस्ड स्टेब्लाइस्ड अर्थ ब्लॉक) ईंटों से बनाया गया है। CSEB एक ऐसी तकनीक है जिसमें सरल यांत्रिक तरीकों से मिट्टी को उपयुक्त स्टेब्लाईजर (चूना और सीमेंट) के साथ न्यूनतम नमी की मात्रा पर दबाकर (कम्प्रेस्ड) करके ईंटों का निर्माण किया जाता है। CSEB ईंटों को संस्थान के परिसर में ही हस्तचलित मशीन के द्वारा निर्मित किया जाता है। इस प्रकार बनी ईंटों को 03 सप्ताह तक तराई करके मजबूती प्रदान की जाती है। CSEB एक टिकाऊ आवासीय प्रोधोगिकी समाधान है।

CSEB ईंटों को बनाने के पूर्व मिट्टी का परीक्षण शासकीय प्रयोगशाला में किया जाता है। CSEB तैयार किये जाने हेतु मिट्टी 30 प्रतिशत, रेत 60 से 63 प्रतिशत, सीमेन्ट 07 से 10 प्रतिशत एवं पानी 12 लीटर (चूने का पानी आवश्यकतानुसार) से तैयार मोर्टार को कम्प्रेस्ड प्रेस (मशीन) में डालकर कम्प्रेस किया जाता है, जिससे मिट्टी के ब्लाक (ईटें) बनकर तैयार होती हैं। CSEB ईंटें तैयार करने के लिये उपयुक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मिट्टी हेतु स्थान का चयन भारत सरकार के सिपरी एप के माध्यम से किया गया है। इन्दौर में निर्मित आवास के लिये ईंट बनाने में जो मिट्टी उपयोग की गई है वह मिट्टी खरगोन जिले के जनपद पंचायत बडवाह के ग्राम पंचायत मोरल्ला से लाई गई है। जिसका परीक्षण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा इन्दौर की शासकीय प्रयोगशाला में किया गया है जो कि CSEB निर्माण हेतु उपयुक्त पाई गई है।

CSEB के उपयोग के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इन्दौर संभाग के समस्त जिलों से 150 से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। प्रशिक्षण में राजमिस्त्रियों को CSEB ईंट के निर्माण के संबंध में संस्थान के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी समय में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रत्येक जनपद पंचायतों में मॉडल आवास बनाये जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्र में CSEB से आवास बनाने के लिये शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये है। इन्दौर में निर्मित प्रोटोटाइप आवास के निरीक्षण हेतु समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भ्रमण भी किया जा रहा है।

प्रोटोटाइप आवास के अवलोकन एवं CSEB ईंट को बनाने की प्रक्रिया को सीखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, राजमिस्त्री एवं आवास योजना के ब्लॉक समन्वयक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचयातराज प्रशिक्षण केन्द्र राऊ इन्दौर का सतत् भ्रमण कर रहे है। इन्दौर संभाग के 600 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा संस्थान में भ्रमण किया जा चुका है।

चन्द्रेश कुमार लाड़
संकाय सदस्य

जिला पंचायत की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया

प्रश्न : जिला पंचायत की बैठकों की प्रक्रिया के संबंध में प्रमुख प्रावधान, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की कौन–कौन सी धारा में दिये गये हैं ?

उत्तर : धारा 44 एवं 45

प्रश्न : जिला पंचायत की बैठक किस नियम के तहत् आयोजित की जावेंगी ?

उत्तर : म.प्र. पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम, 1994

प्रश्न : क्या जिला पंचायत के सम्मिलन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी मत देने का अधिकार होगा ?

उत्तर : हॉ

प्रश्न : जिला पंचायत के सम्मिलन की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होगी ?

उत्तर : जिला पंचायत के सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से

प्रश्न : जिला पंचायत की बैठक कम से कम कितनी समयावधि में आयोजित होना चाहिए?

उत्तर : प्रत्येक मास में कम से कम एक बार

प्रश्न : जिला पंचायत की बैठक कौन बुलाएगा ?

उत्तर : अध्यक्ष जिला पंचायत

प्रश्न : यदि अध्यक्ष सम्मिलन बुलाने में असफल रहता हो तो आगे बैठक आयोजित करने के क्या प्रावधान हैं ?

उत्तर : पिछली बैठक के 25 हो जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैठक बुलायेंगे।

प्रश्न : तीन माह में एक बार बैठक में कौन–कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे ?

उत्तर : तीन माह में एक बार आय, व्यय की रिपोर्ट, अनुमोदित प्राक्कलित वार्षिक बजट की तुलना के साथ प्रस्तुत की जावेगी।

प्रश्न : विशेष सम्मेलन आयोजित किये जाने से संबंधित क्या प्रावधान है ?

उत्तर : यदि 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य विशेष सम्मिलन की लिखित में मांग करते हैं तो मांग होने के सात दिवस में विशेष बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बुलाई जावेगी। यदि अध्यक्ष ऐसी विशेष बैठक बुलाने में असफल रहते हों तो मांग करने वाले सदस्यों द्वारा बैठक बुलाई जा सकती है जिसकी सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जारी करेगें।

प्रश्न : निर्धारित समय पर बैठक आयोजित नहीं हो रही हो तो अध्यक्ष पर क्या कार्यवाही होगी ?

उत्तर : यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रत्येक मास में एक बार और विशेष सम्मिलन बुलाने में लगातार तीन बार असफल रहते हैं तो वह धारा 40 के अधीन उसके पद से हटाया जा सकता है। धारा 40 की कार्यवाही के लिए जिला पंचायत के मामले में विहित प्राधिकारी संभागीय आयुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त होगें।

प्रश्न : पंचायतों द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार हो सकता है ?

उत्तर : हॉ, हो सकता है। धारा 45 में यह प्रावधान है कि, जिला पंचायत द्वारा एक बार अंतिम रूप से निपटा दिये गये किसी विषय पर उसके द्वारा छह मास के भीतर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब

तक कि उसके सदस्यों के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की, जो मत देने के लिए हकदार है। अभिलिखित सम्मति उसके संबंध में अभिप्राप्त न कर ली गई है या जब तक कि विहित प्राधिकारी ने उस पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश न दिये हों। धारा 45 के अन्तर्गत जिला पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त/ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त विहित प्राधिकारी होगें।

प्रश्न : क्या अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा बैठक की तारीख, समय तथा स्थान तय की जा सकती है ?

उत्तर : हॉ

प्रश्न : बैठक की सूचना एवं कार्यसूची सामान्य बैठक के लिए कितने दिवस पहले दी जानी चाहिए ?

उत्तर : 7 दिन पहले

प्रश्न : विशेष बैठक के लिए सूचना एवं कार्यसूची कितने दिन पहले दी जानी चाहिए ?

उत्तर : 3 दिन पहले

प्रश्न : बैठक की सूचना किसके द्वारा दी जावेगी ?

उत्तर : मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा

प्रश्न : बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा ?

उत्तर : जिला पंचायत के अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या इन दोनों की अनुपस्थित पर उपस्थित सदस्य में से चुना गया सदस्य, अध्यक्षता करेगें।

प्रश्न : बैठक में निर्णय किस आधार पर लिया जावेगा ।

उत्तर : उपस्थित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। मतों के बराबर रहने पर अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का मत निर्णायक रहेगा।

प्रश्न : सम्मिलन की कार्यसूची किनके द्वारा तैयार की जावेगी ?

उत्तर : मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से तैयार की जावेगी। कार्यसूची के साथ कार्यसूची में सम्मिलित की गई मदों पर यथासंभव संक्षिप्त टिप्पणियॉ संलग्न की जाएंगी।

प्रश्न : किन कारणों से सभापति किसी सदस्य को किसी विषय पर चर्चा करने एवं मत देने से रोक सकते हैं?

उत्तर : सभापति बैठक में उपस्थित किसी सदस्य को ,जिसके बारे में उसे युक्ति युक्त आधारों पर यह विश्वास हो कि वह चर्चा के किसी विषय पर हित रखता हो, उस विषय पर चर्चा करने अथवा मतदान करने से रोक सकेगा। ऐसा पदधारी, सभापति के इस निर्णय पर आपत्ति कर सकेगा, तब सभापति उसे बैठक में रखेगा तथा जो निर्णय किया जाय वह अन्तिम होगा । (इस विषय पर आपत्ति करने वाला सदस्य मत नही देगा)।

प्रश्न : किसी भी पदधारी को बोलते समय किन नियमों का पालन करना जरूरी है ?

उत्तर : कोई पदधारी बोलते समय :– किसी ऐसे विषय के गुण अवगुण पर जो न्यायालय में विचाराधीन हो कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। स्थानीय शासन, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी पदधारी या पदाधिकारी के विरूद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा। संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल या किसी जिला पंचायत या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के संचालन या कार्यवाहियों के संबंध में किसी संतापकारी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। मानहानिकारक शब्दों का उच्चारण नहीं

करेगा। पंचायत के काम काज में बाधा डालने के प्रयोजन से अपने भाषण संबंधी अधिकार का अनुचित रूप से प्रयोग नही करेगा।

प्रश्न : क्या कोई पदधारी जिसने किसी प्रस्ताव पर बैठक को संबोधित किया हो उसके बाद संशोधन का प्रस्ताव या समर्थन कर सकता है ?

उत्तर : नहीं

प्रश्न : सभापति द्वारा किसी विषय पर मत का प्रस्ताव रखे जाने के बाद कोई पदधारी उस पर बोल सकते हैं?

उत्तर : नहीं

प्रश्न : क्या पदधारी बैठक के सभापति द्वारा निश्चित किये गये स्थान पर क्रम से बैठेगें।

उत्तर : हॉ

प्रश्न : कोई पदधारी बोलना चाहता हो तो वह अपने स्थान पर बैठे–बैठे बोल सकता है और क्या वह सभापति के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को संबोधित कर सकता है ?

उत्तर : नहीं, पदधारी किसी विषय पर सभापति द्वारा नाम पुकारे जाने के बाद अपने स्थान पर खड़ा होकर बोलेगा तथा सभापति को संबोधित करेगा ।

प्रश्न : क्या यह उचित है कि, जब सभापति द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा जाए तब वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ जाएगा।

उत्तर : हॉ, उचित है।

प्रश्न : कोई भी पदधारी पंचायत के प्रशासन तथा कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर संकल्प प्रस्तुत कर सकता है ?

उत्तर : हॉ

प्रश्न : संकल्प को स्वीकार करने के संबंध में सभापति की क्या शक्तियां हैं ?

उत्तर : सभापति संकल्प को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय करेगा यदि उसकी राय से कोई संकल्प, अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के विरूद्ध है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

प्रश्न : बैठक में रखे जाने वाले संकल्प का स्वरूप कैसा रहेगा ?

उत्तर : प्रत्येक संकल्प स्पष्ट रूप से और ठीक–ठाक अभिव्यक्त किया जाएगा और उसके किसी निश्चित विवाद्यक को उठाया जाएगा। संकल्पों में न तो कोई तर्क, अनुमान, व्यंगात्मक अभिव्यक्ति या मानहानि कारक वक्तत्व अन्तर्विष्ट होंगे और न ही उनमें किन्हीं व्यक्तियों के, उनकी पदीय या लोक हैसियत को छोड़कर, आचरण या चरित्र के संबंध में कोई निर्देश होगा। संकल्प सकारात्मक स्वरूप का होगा।

प्रश्न : बैठक में रखे जाने वाले संकल्प की सूचना देने के संबंध में क्या नियम है ?

उत्तर : संकल्प की सूचना लिखित में होगी और प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। कोई पदधारी यदि बैठक में संकल्प प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे इसकी सूचना बैठक की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले देनी होगी। संकल्प में उल्लेखित कारणों के आधार पर जरूरी हो तो, सभापति पॉच दिन से कम की सूचना पर भी संकल्प को कामकाज की सूची में प्रविष्ट करने की अनुज्ञा दे सकता है।

प्रश्न : पदधारी द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने या वापिस लेने के संबंध में क्या नियम है ?

उत्तर : कोई पदधारी जिसके नाम से कोई संकल्प कामकाज की सूची में दर्ज किया गया है, नाम पुकारे जाने पर या या तो, संकल्प प्रस्तुत करेगा, या संकल्प वापस ले लेगा और इस स्थिति में उस आशय के केवल कथन तक ही अपने को सीमित रखेगा।

प्रश्न : संकल्प प्रस्तुत करने वाला पदधारी अनुपस्थित हो तो क्या इस संबंध में क्या नियम हैं।

उत्तर : नाम पुकारे जाने पर यदि कोई पदधारी अनुपस्थित है तो उसके नाम पर दर्ज किया गया संकल्प को वापस लिया गया, तब तक माना जाएगा जब तक कि, सभापति उस चर्चा की अनुमति न दे दे।

प्रश्न : पदधारी द्वारा क्या संकल्प से अतिरिक्त अन्य चर्चा करना सही होगा ?

उत्तर : नहीं, यह सही नहीं होगा। किसी भी संकल्प पर की जाने वाली चर्चा केवल संकल्प तक ही सीमित होगी।

प्रश्न : ऐसा संकल्प जिसमें अनेक विषयों को शामिल किया गया हो तो सभापति को क्या करना चाहिए ?

उत्तर : जब अनेक विषय बिन्दुओं से अन्तर्विलित किसी संकल्प पर चर्चा कर ली जाए, तब सभापति अपने विवेकानुसार संकल्प का विभाजन करेगा, और प्रत्येक या किसी एक विषय बिन्दु को जैसा वह उचित समझे, पृथकतः मत देने के लिए रखेगा।

प्रश्न : क्या सभापति द्वारा संकल्प या प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या सभापति संकल्प पर बोलने का अधिकार है ?

उत्तर : हॉ, यह सही है । सभापति का संकल्प या प्रस्ताव प्रस्तुत करने या उसके संबंध में बोलने का वही अधिकार होगा जो किसी अन्य पदधारी को है।

प्रश्न : पदधारी द्वारा सभापति का ध्यानाकर्षण कराने के संबंध में क्या नियम है ?

उत्तर : कोई पदधारी सभापति का ध्यानाकर्षण, सम्मिलन के पूरे पॉच दिन पूर्व अपने आशय की सूचना देकर कर सकेगा। कोई पदधारी सम्मिलन के पूरे पॉच दिन पूर्व सूचना देकर पंचायत के प्रशासन या उसके किसी कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में सभापति से जानकारी मांग सकेगा। सभापति, जानकारी प्राप्त करने के लिए रखे गए किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को, यदि वह नियम 7 के उपबन्धों का उल्लंधन करता है, अनुज्ञात कर सकेगा। जानकारी संबंधी कोई ध्यानाकर्षण सूचना विचार–विमर्श योग्य नहीं होगी।

प्रश्न : पदधारी व्यवस्था भंग करने का दोषी कब होगा ?

उत्तर : कोई पदधारी, व्यवस्था भंग करने का दोषी होगा जो–आपत्तिजनक या संतापकारी शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हें वापस लेने या क्षमा मांगने से इंकार करता है, या, सम्मिलन के शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित संचालन में जानबूझकर गड़बड़ी पैदा करता है, या, सभापति के किसी आदेश का पालन करने से इंकार करता है, या, सभापति के अपनी कुर्सी से उठने पर या सभापति द्वारा स्थान ग्रहण करने के लिए आदेशित किए जाने पर अपना स्थान ग्रहण नहीं करता है।

प्रश्न : संतापकारी शब्द पर आपत्ति के संबंध में क्या नियम है ?

उत्तर : कोई भी पदधारी किन्हीं भी संतापकारी शब्दों के संबंध में आपत्ति कर सकेगा। संतापकारी शब्दों पर आपत्ति करने वाले पदधारी को प्रस्ताव रखना चाहिए कि, ''संतापकारी शब्द वापस लिये जाएं'', यदि उसका प्रस्ताव मान लिया जाए तो सभापति यह निर्देश देगा कि शब्द वापस लिए जाएं। संतापकारी शब्दों पर आपत्ति तभी उठाई जाएगी जबकि उनका प्रयोग किया गया हो और किसी अन्य पदधारी ने बोलना आरम्भ न किया हो।

प्रश्न : किसी पदधारी को अपना भाषण बंद करने के लिये कब सभापति निर्देशित कर सकते हैं ?

उत्तर : सभापति ऐसे किसी पदधारी के आचरण के प्रति, जो विचार विमर्श में या तो उसके अपने तर्क या अन्य पदधारी के तर्क में विसंगत या उकता देने वाली पुनरावृत्तियां लगातार कर रहा है, पंचायत का ध्यान आकृष्ट करने के पश्चात् उसे अपना भाषण बंद करने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

प्रश्न : सभापति किन परिस्थितियों में किसी पदधारी को सम्मिलन से निकल जाने का निर्देश दे सकता है ?

उत्तर : सभापति ऐसे किसी पदधारी को सम्मिलन से तुरन्त निकल जाने का निर्देश दे सकेगा जिसका आचरण उसकी राय में अत्याधिक विच्छृंखल हो, या जो नियम 22 के अधीन व्यवस्था भंग करने का दोषी हो और उस प्रकार निकल जाने के लिए आदेशित किया गया कोई पदधारी तुरन्त ऐसा करेगा और उस दिन के सम्मिलन की शेष अवधि के दौरान स्वयं अनुपस्थित रहेगा।

प्रश्न : किस दशा में बैठक स्थगित की जा सकती है ?

उत्तर : सभापति सम्मिलन में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में उसके द्वारा विनिश्चित तथा घोषित किए जाने वाले समय तक के लिए किसी बैठक को स्थगित कर सकेगा।

प्रश्न : किन स्थितियों में कोई पदधारी मत देने के लिए हकदार नहीं होगा ?

उत्तर : कोई भी पदधारी पंचायत के सम्मिलन में विचारार्थ लाये गये किसी ऐसे प्रश्न पर चर्चा में अपना मत नहीं देगा और उसमें भाग नहीं लेगा, यदि वह ऐसे प्रश्न में लोक सदस्य के रूप में भिन्न स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित रखता है।

प्रश्न : सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति किन मामलों में अध्यक्षता करने का हकदार नहीं होगा ?

उत्तर : यदि सम्मिलन में उपस्थित किसी पदधारी को यह प्रतीत होता है कि सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सम्मिलन के समक्ष चर्चा के किसी विषय में धन संबंधी कोई ऐसा हित रखता है जो नियम 27 में निर्दिष्ट है तथा उसके द्वारा लाया गया तदर्थक प्रस्ताव पारित हो जाने पर ऐसा व्यक्ति चर्चा के दौरान ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा और सम्मिलन की अध्यक्षता किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो इस प्रकार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता।

प्रश्न : बैठक के कार्यवृत किस प्रकार से तैयार किया जावेगा ?

उत्तर : प्रत्येक पंचायत कार्यवृत्त पुस्तिका में उपस्थित पदधारियों के नाम, उपस्थित सरकारी अधिकारियों के नाम, यदि कोई हों, पंचायत और उसकी समितियों के प्रत्येक सम्मिलन की समस्त कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मत देने वाले या तटस्थ रहने वाले पदधारियों के नाम।

ऐसे कार्यवृत्त को सम्मिलन की समाप्ति के दस दिन के भीतर सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को परिचलित किया जाएगा। इस प्रकार अभिलिखित किये गये कार्यवृत्त, उसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होंगे जिसने उक्त सम्मिलन की अध्यक्षता की है। यह सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी पदधारी द्वारा परीक्षण के लिए निःशुल्क खुला रहेगा। कार्यवृत्त, देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में होंगे।

कार्यवृत्त की एक प्रति, पन्द्रह दिन के भीतर – जिला उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, कलेक्टर, संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण और संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को भेजी जाएगी। अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (4) या उपधारा (6) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार यदि अध्यक्ष सम्मिलिन बुलाने में कम से कम तीन अवसरों पर असफल रहता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी उस प्रभाव के बारे में एक रिपोर्ट राज्य सरकार या ऐसे विहित प्राधिकारी को भेजेगा जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित कार्यवाही करेगा। धारा 40 के अन्तर्गत जिला पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त/ अतिरिक्त अतिरिक्त आयुक्त विहित प्राधिकारी होगें।

प्रश्न : क्या कोई भी पदधारी पंचायत के मामले में सभापति का ध्यान आकर्षित कर सकता है ?

उत्तर : कोई भी पदधारी, पंचायत के कार्य के निष्पादन में की गई किसी भी उपेक्षा, पंचायत निधि या संपत्ति के अपव्यय या दुरूपयोग या पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी परिक्षेत्र की आवश्यकताओं की ओर सभापति का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और ऐसे सुझाव दे सकेगा जो वांछनीय प्रतीत हों।

जनपद पंचायत साधारण सभा के संबंध में शासन के निर्देश

जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, क्रमांक / एफ–2–2/ 22/ पं–1/ 2015, भोपाल दिनांक 20–10–2015 में दिये गये निर्देश अनुसार जिला पंचायतों की साधारण सभा की मासिक बैठक प्रतिमाह 20 तारीख तक अनिवार्यतः आयोजित की जावेगीं, अगर कोई अवकाश हो तो अगले दिवस बैठक आयोजित की जावेगें। बैठक की सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से एवं कार्यसूची सर्वसंबंधितों को अनिवार्य रूप से तामील कराई जायेगी।

बैठक की संभावित कार्यसूची

(1) पूर्व बैठक का पालन प्रतिवेदन

(2) कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर चर्चा

(3) नये प्रस्तावों का अनुमोदन

(4) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा

अगर बैठक आयोजन संबंधी उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है और किसी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

डॉ. संजय राजपूत,
संकाय सदस्य

महिला हितैषी ग्राम पंचायत निर्माण में सकारात्मक महिला त्रिकोण की भूमिकाः ग्राम पंचायत करही कोठार, जिला सतना, मध्य प्रदेश की एक केस स्टडी

परिचयः–

मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिससे स्थानीय शासन में पुरुष और महिला सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। इस कारण हाल के वर्षों में महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कहीं–कहीं यह देखा जाता है कि कुछ पंचायतों में निर्णय लेने का अधिकार अभी भी इन महिलाओं प्रतिनिधियों के पतियों या पुरुष रिश्तेदारों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर लिया जाता है, अधिकांश पंचायतें ऐसी हैं जहाँ महिलाओं ने अपनी क्षमता साबित की है। इन्होंने पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दी है और स्वतंत्र एवं सक्षम नेतृत्व स्थापित किया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा, ग्राम पंचायत स्तर पर महिला सरकारी कर्मचारी भी स्थानीय शासन को समर्थन देने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इनकी भागीदारी, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के साथ मिलकर, पंचायत के कार्यों को सुदृढ़ करने और अधिक समावेशी विकास परिणाम सुनिश्चित करने में योगदान देती है। यह एक सहयोगात्मक मॉडल को दर्शाता है जहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक समर्थन मिलकर गाँव स्तर पर प्रगति हासिल करने में सक्षम होते हैं।

वर्तमान अध्ययन इसी प्रकार की एक पंचायत को उजागर करता है। यहाँ महिला प्रतिनिधियों ने मजबूत नेतृत्व दिखाया है, उन्हें अच्छा प्रशासनिक समर्थन प्राप्त हुआ है और उन्होंने पंचायत के कार्यों का प्रभावी प्रबंधन किया है। इन प्रयासों के कारण, इस पंचायत को जिले में महिला हितैषी ग्राम पंचायत बनाने के लिए चुना गया है।

अध्ययन के उद्देश्यः–

1. भागीदारीपूर्ण शासन और निर्णय–प्रक्रिया में महिलाओं निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका का अध्ययन करना।

2. महिला–मित्रवत और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सकारात्मक महिला त्रिकोण की भूमिका का विश्लेषण करना।

ग्राम पंचायत करही कोठार की सामान्य जानकारी– ग्राम पंचायत करही कोठार, ब्लॉक सोहावल, जिला सतना, मध्य प्रदेश में स्थित है। यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से यह जिला मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाल तक यह कहावत "चिराग तले अँधेरा" का प्रतीक माना जाता था। इस पंचायत के अधिकांश गरीब परिवार अपनी आजीविका शहरी क्षेत्रों में मजदूरी करके चलाते हैं।

इसके अलावा, इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी गाँवों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कल्याणकारी योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन, और स्थानीय शासन में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी जैसी समस्याएँ रही हैं। हालांकि, महिला सरपंच के निर्वाचन के बाद स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आने लगे हैं। उन्होंने पंचायत में शासन और विकास परिणामों को सुधारने के लिए कई पहल शुरू की हैं।

विवरण	जानकारी
ग्राम पंचायत का नाम	करही कोठार
एलजीडी कोड	148841
ब्लॉक	सोहावल
जिला	सतना (मध्य प्रदेश)
कुल गाँव	4
आबाद गाँव	4
खाली/निर्वासित गाँव	0
कुल जनसंख्या	2,627
जनसंख्या (श्रेणी अनुसार)	ST – 989, SC – 491, OBC – 22, UR – 598
ग्राम सभा के सदस्य (कुल मतदाता)	2,058
कुल वार्ड सदस्य	20 (महिला – 12, पुरुष – 8)
सरपंच/मुखिया का नाम	श्रीमती कमला देवी चौधरी
पंचायत सचिव का नाम	श्रीमती श्रद्धा मिश्रा
ग्राम रोजगार सहायक का नाम	श्रीमती लकी प्रजापति

स्व– सहायता समूह सदस्य से सरपंच तकः कमला देवी की यात्रा–

कमला देवी, जो कभी अपने पति की आय पर निर्भर गृहिणी थीं, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वह सरपंच बनेंगी। इनकी यह यात्रा वर्ष 2017 में शुरू हुआ, जब वे एक स्व– सहायता समूह (SHG) में शामिल हुईं। अपने समूह के सहयोग से उन्होंने परिवार की आजीविका में योगदान देना शुरू किया और जल्दी ही उन्होंने सामूहिक प्रयासों की परिवर्तनकारी शक्ति को महसूस किया। इस अनुभव से प्रेरित होकर, उन्होंने अपने गाँव और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 15 नए स्व– सहायता समूह बनाने में मदद की, अपने ज्ञान, प्रभावशाली संवाद और सम्मानजनक व्यवहार का उपयोग करते हुए। उनके नेतृत्व को पहचानते हुए, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM), जिला सतना ने उन्हें बैंक सखी के रूप में नियुक्त किया। इस भूमिका में उन्होंने कई स्व– सहायता समूह को वित्तीय समावेशन और क्षमता निर्माण में मदद की, जिसके लिए उन्हें जिला कलेक्टर से सम्मान और पुरस्कार भी मिला।

2022 के ग्राम पंचायत चुनावों तक, कमला देवी ने अपनी ईमानदारी, अच्छे आचरण और प्रबंधन कौशल के लिए मजबूत प्रतिष्ठा बना ली थी। अपने समुदाय के प्रोत्साहन से उन्होंने चुनाव में भाग लिया और आसानी से जीत हासिल की। एक छोटे स्व– सहायता समूह की सदस्य

से, कमला देवी पूरे ग्राम पंचायत की सरपंच के रूप में उभरीं, जो महिला सशक्तिकरण और प्रभावी जमीनी नेतृत्व का प्रतीक बन गईं।

सकारात्मक महिला त्रिकोण:— ग्राम पंचायत ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई है। जब पंचायत के तीन मुख्य पद— सरपंच, पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक (GRS) सभी महिलाओं के द्वारा संभाले जाते हैं, तो इसे "सकारात्मक महिला त्रिकोण" कहा जा सकता है। यह स्थिति न केवल महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को उजागर करती है, बल्कि गाँव के समग्र विकास के लिए भी एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

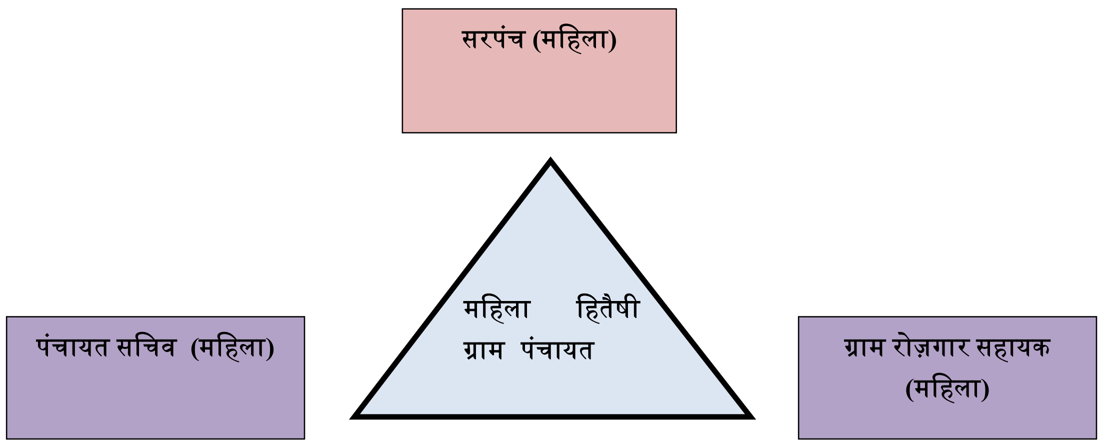

(क) सरपंच/प्रधान— सरपंच या प्रधान ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है और ग्राम शासन का मुख्य नेता माना जाता है। वह समुदाय की आवाज के रूप में कार्य करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है और स्थानीय विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। संसाधनों के संकलन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्राम स्तर की समस्याओं के समाधान के माध्यम से सरपंच ग्राम में बुनियादी ढाँचे, आजीविका और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

(ख) पंचायत सचिव— पंचायत सचिव ग्राम शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पंचायत के समस्त अभिलेखों (रिकॉर्ड) का रखरखाव, वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। सरपंच का सहयोग करते हुए तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समन्वय के माध्यम से सचिव बुनियादी सेवाओं, आजीविका और अवसंरचना में सुधार लाने में मदद करते हैं।

(ग) ग्राम रोजगार सहायक (GRS)— ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर एक महत्वपूर्ण कार्मिक होते हैं। वे जॉब कार्ड, मस्टर रोल और रोजगार से संबंधित अभिलेखों का संधारण करते हैं तथा श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करते हैं। योजना के निर्माण, निगरानी और कार्यान्वयन में सहयोग देकर वे आजीविका सृजन, संपत्ति निर्माण और योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन में

योगदान देते हैं। इस प्रकार वे ग्रामीण रोजगार के संवर्धन और स्थानीय विकास को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ग्राम पंचायत में प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियां (सकारात्मक नारी त्रिकोण के प्रयासों से) –

1. आंगनवाड़ी भवन निर्माण – बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा सुविधाओं को मजबूत किया गया है तथा पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं हेतु एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया गया है।

2. शांति धाम /मुक्ति धाम निर्माण– गांव में अंतिम संस्कार के लिए एक शांतिधाम सामुदायिक स्थल का निर्माण किया गया है, इससे ग्रामीणों की कठिनाइयाँ कम हुई हैं और एक सुविधाजनक सामाजिक स्थान बन गया है।

3. विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण– बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विद्यालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने और एक केंद्रित शिक्षण वातावरण बनाने हेतु विद्यालय परिसर को घेरा गया है। विद्यालय परिसर में बाउन्ड्री बाल बनाई गयी हैं।

4. विद्यालय में जल टंकी की स्थापना– विद्यालय परिसर में सुरक्षित पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे विद्यार्थियों में स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला है।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती तक सड़क निर्माण– गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती तक पहुँच मार्ग बनाया गया है जिससे गतिशीलता सुदृढ़ हुई और सामाजिक समावेशन, ग्राम की सभी सुविधाओं से उनका बेहतर जुड़ाव स्थापित हुआ है।

6. जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल कनेक्शन– प्रत्येक घर तक सुरक्षित पेयजल की पहुँच सुनिश्चित की गई है, जिससे महिलाओं को दूर–दराज के स्रोतों से पानी लाने की कठिनाई से मुक्ति मिली है।

7. ग्राम में जुआ पर प्रतिबंध– ग्राम में जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे सामाजिक अनुशासन की स्थापना हुई है, आर्थिक शोषण में कमी आई है और समुदाय में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिला है।

8. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन– ग्राम पंचायत में लगभग 20 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें करीब 200 महिलाएँ सदस्य हैं। ये समूह आजीविका संवर्धन और आर्थिक सशक्तिकरण

के प्रमुख वाहक के रूप में उभरे हैं। ये समूह विविध आय सृजन गतिविधियों में संलग्न हैं जैसे– किराना दुकान संचालन, ब्यूटी पार्लर, सिलाई इकाई, सब्जी विक्रय, डेयरी गतिविधियाँ और लघु उद्यम आदि।

अध्ययन के निष्कर्ष –"सकारात्मक नारी त्रिकोण" के सामूहिक प्रयासों ने यह सिद्ध किया है कि जब महिलाएँ नेतृत्व की मुख्यधारा में आती हैं, तो स्थानीय शासन अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बन जाता है। इनके नेतृत्व तथा 20 सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी ने पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक समावेशी और सहभागी बना दिया है। इसके परिणामस्वरूप, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि पंचायत स्तर पर–

1. आंगनवाड़ी भवन, विद्यालय और पेयजल प्रणाली जैसी बुनियादी सुविधाएँ सुदृढ़ की गईं। बालिकाओं की शिक्षा के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया गया, साथ ही विद्यालयों में जल एवं स्वच्छता की सुविधाओं में सुधार हुआ। 2. ग्राम में जुआ निषेध और अन्य सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित किया गया, जिससे समुदाय में सुरक्षा और अनुशासन की भावना बढ़ी। 3. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आजीविका को मजबूती मिली, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई।

यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि महिला एवं बालिका अनुकूल ग्राम पंचायत की अवधारणा केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और सतत विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

डॉ. अमित आठ्या,
क्षमतावर्धन सलाहकार,
(SoEPR-NIRDPR)

"पारदर्शिता एवं जावबदेही की वजह से सुनिश्चित हुई समुदाय की सहभागिता"
मध्यप्रदेश की साईखेड़ा विकासखण्ड की खुरसीपार ग्राम पंचायत की केस स्टडी

मध्यप्रदेश के एक वास्तविक केस स्टडी मे दिखाया गया है कि कैसे पंचायती राज संस्थाओं की सच्ची नेतृत्व क्षमता के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने दूरदराज के गावों के लोगों के जीवन को बदलकर उन्हें सशक्त बनाया है। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत साईखेड़ा विकासखण्ड की खुरसीपार ग्राम पंचायत ने समुदाय के लिए उनकी सोच को अपनाते हुए पंचायत ग्रामीण विकास की योजनाओं के अंतर्गत प्रभावी क्रियान्वयन का एक उदाहरण स्थापित किया है। यहाँ हम पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा समुदाय के सशक्तिकरण और ग्राम पंचायत में अधोसरचना के गुणवत्तायुक्त उत्कृष्ट कार्यों पर एक प्रेरणादायक केस स्टडी प्रस्तुत हैं।

खुर्सीपार ग्राम पंचायत, साईंखेड़ा तहसील, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है। जो निकटतम नगर गाडरवारा से 10 किलोमीटर दूर है जिसका पिन कोड 487551 और इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन गाडरवारा है। भारत सरकार का नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन का बहुत बड़ा प्लांट एवं नर्मदा कछार का क्षेत्र होने के कारण ग्राम पंचायत मे समृद्धि दिखाई देती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 908 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष एवं कुल साक्षरता दर 55.34 प्रतिशत है पुरुष साक्षरता 61.94 प्रतिशत और महिला साक्षरता 48.06 प्रतिशत है।

मध्यप्रदेश के साईखेड़ा विकासखण्ड मे खुरसीपार ग्राम पंचायत मे रहने वाले कमजोर वर्ग के ग्रामीण कभी हाँसिये पर रहते थे अब नेतृत्व की भूमिका मे आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ मे ग्राम पंचायत के ग्रामीणजन विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं इनमे से मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत पंचायत के प्रत्येक गरीब परिवार से एक महिला, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है इस प्रकार कुल 20 स्वयं सहायता समूह में 200 परिवार की लगभग 240 महिलायें जुड़ी हैं समूहों का एक ग्राम संगठन हैं संगठन के माध्यम से चक्रीय राशि सभी 20 समूह को प्राप्त हो चुकी हैं जिस राशि से वह अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु लेनदेन करती हैं। 10 समूहों को आजीविका मिशन से ग्राम संगठन के माध्यम से 75,000/- प्रति समूह के मान से समुदाय निवेश निधि प्राप्त हुई है,

तत्पश्चात उनके वित्तीय अनुशासन को देखते हुए 16 समूह को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बार ऋण प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की पढ़ाई एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ–साथ कृषि, पशुपालन एवं सूक्ष्म उद्यम जैसे किराना व्यवसाय, जूता चप्पल व्यवसाय, सब्जी व्यवसाय, स्कूल और आंगनवाड़ी मे मध्यान भोजन वितरण, आम, जामुन, अमरूद आदि फल पौधा रोपण के लिए किया गया। जो महिलायें पहले समाज की एक सीमित दायरे मे बंद थी अब वे विभिन्न योजनाओं मे स्वयं को रोजगार देकर आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सशक्तिकरण और कौशल विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त कर रही है।

पंचायत मे 4 कमरे एवं सुव्यवस्थित पंचायत भवन हैं जिसमे कम्प्यूटर लैपटॉप प्रिंटर स्कैनर साथ मे इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है। पंचायत भवन में एक पुस्तकालय भी हैं जिसमें बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए एवं सभी वर्ग के लोगों के लिए समाचार पत्र व ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध है। इससे युवा–युवती भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ग्राम पंचायत में पूर्व से निर्मित रोड नाली तालाब बावड़ी पंचायत भवन एवं नल जल योजना की स्थिति अच्छी नहीं थी जिससे समुदाय को इनका उपयोग करने मे समस्याओं का सामना करना पड़ता था सरपंच के हस्तक्षेप से लोगों को विश्वास मे लेकर ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाकर काम कराए गए।

कुल परिवार	732
कुल जनसंख्या	3078
कुल बी पी एल परिवार	310
कुल पेन्शनर	299
संभाल कार्ड धारी	709
कुल आयुष्मान कार्ड	1855
सरपंच का नाम	श्री मनोज दुबे
सचिव	श्री नीलेश कुमार दीक्षित
ग्राम रोजगार सहायक	श्री शरद कुमार टिनगुरिया
उपसरपंच	श्रीमती सीमा ठाकुर
आंगनबाड़ी केंद्र	3
मिनी आंगनबाड़ी	1
हाई स्कूल	1
स्वास्थ्य केंद्र	1
पशु चिकित्सालय	1
सोसायटी	1

ग्राम पंचायत क्षेत्र मे गन्ना उत्पादकों

द्वारा लगभग 3 लाख क्विंटल गन्ना का उत्पादन कर विक्रय किया जाता है, एक रुपये प्रति क्विंटल किसान से व गन्ना खरीददार से दो रुपये प्रति क्विंटल के मान से 9 लाख रुपये का संग्रहण हुआ जिसका उपयोग वृक्षों की सुरक्षा हेतु पिंजरे बनवाने में, बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी, पंचायत भवन मे आंगन्तुकों हेतु दरी, टेबल व अन्य साजो–समान की सामग्री क्रय की गई। पुस्तकालय हेतु अलमिरा टेबल–कुर्सी व पुस्तकों की खरीदी पर व्यय किया गया इतना ही नहीं उन्होंने राज्यसभा सांसद, विधायक, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के सदस्य से भी पंचायत निधि जनभागीदारी के तौर पर 20 से 25 लाख रुपए लिए है। संग्रहित राशि का उपयोग उल्लेखित विकास कार्यों मे होता है। पंचायत के माध्यम से गरीब परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उसी दिन अन्त्येष्टि सहायता राशि परिवार को दी जाती है, ग्राम मे पशुओं की मृत्यु होने पर गड्ढा खुदवाकर दाह संस्कार किया जाता है।

विशेषतः ग्राम पंचायत मे शांतिधाम की स्थिति अच्छी नहीं थी पूर्व मे खुली जमीन मे ग्राम वासियों को दाह संस्कार करना पड़ता था। ग्राम पंचायत के सरपंच के नेतृत्व मे ग्रामीणों की सहभागिता से नवीन एवं सुविधायुक्त शांतिधाम का निर्माण कराया गया जिसमे प्रवेश द्वार, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, नहाने के लिए पानी एवं उचित स्थान की व्यवस्था, बरसात एवं धूप से बचाव के लिए शमशान के ऊपर टीनशेड का निर्माण, लोगों के बैठने हेतु पेड़ के नीचे चबूतरा और सीमेंट की कुर्सियाँ लोगों को प्रेरित कर, स्वर्गवासी लोगों के परिवार से दान मे ली हुई उनके नाम की स्मृति अंकित बेंच लगवाई गई। दाह संस्कार में प्रयोग की गई सामग्री के निपटान हेतु स्थाई कूड़ेदान का निर्माण भी कराया गया। पूरे शांतिधाम को कवर करते हुए तार फेंसिंग कराई गई एवं परिसर मे पौधों का रोपण भी किया गया। ग्राम पंचायत की शासकीय जमीन को अतिक्रमण से लोगों की इच्छा से मुक्त कराकर वृक्षारोपण, शमशान गृह के नजदीक तालाब का निर्माण भी कराया गया।

☐ पंचायत द्वारा किए गए नवाचार

व्ही.बी. रामजी (मनरेगा), स्वच्छ भारत मिशन, अन्य योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य मे लगने वाले मजदूरों की संख्या, कार्य दिवस, सामाग्री, ट्रैक्टर ट्रॉली की आवश्यकता सरपंच द्वारा 615 सदस्यों के बनाएं हुए व्हाट्सएप्प ग्रुप पर दी जाती है। ग्रुप मे प्रति परिवार एक जागरूक सदस्य जो मोबाईल चलाने मे दक्ष है एवं पंचायत से संबंधित शासकीय विभागों के मैदानी कर्मचारियों अधिकारियों को भी जोड़ा गया है इस वजह से पंचायत मे रहने वाले ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान त्वरित हो जाता है।

☐ चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए गए कदम –

- पंचायत चुनाव के पूर्व मे ग्रामीण संगठित नहीं थे चुनाव के बाद सरपंच एवं पंचों के पहल से उनको संगठित किया गया पंचायतों के कार्य, जिम्मेदारियों एवं पंचायत निधि की पारदर्शिता से जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर संगठित किया गया।

- सभी ग्रामवासियों की पंचायत के कार्यों मे भागीदारी सुनिश्चित की गई। विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों की सहभागिता के प्रयास किए गए।
- सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को व्हाट्सप्प ग्रुप से जोड़ा गया ताकि समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण कराया जा सके।
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड से, वार्ड के सदस्यों द्वारा चयनित एक प्रतिनिधि के माध्यम से उस वार्ड की समस्याएं, साप्ताहिक बैठक मे चर्चा हेतु रखी जाने लगी।
- प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई के माध्यम से ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनना एवं उनका निराकरण कर विश्वास अर्जित किया गया।

☐ प्रमुख उपलब्धियां

- महिलाओं की भागीदारी मे वृद्धि, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों एवं प्रत्येक वर्ग के लोगों की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक परिवर्तन हुआ है।
- आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण, महिलाओं ने आजीविका मिशन की बैंक लिंकेज योजना से समूहों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुच सुनिश्चित की है। परिणाम–स्वरूप आय सृजन गतिविधियों मे वृद्धि ग्राम पंचायत मे स्पष्ट दिखती है।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया, समाज के प्रत्येक वर्ग ने ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण मे सक्रिय भागीदारी निभाई है फलस्वरूप शासकीय योजनाओ का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हुआ है।

1. जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना, सामाजिक सामुदायिक एवं व्यक्तिगत मुद्दों को बैठकों व ग्राम सभा में उठाना एवं चर्चा कर जिला स्तरीय अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के सहयोग से उनका समाधान निकालना।

राजकुमार मालवीय, नवीन शिवा
क्षमतावर्धन सलाहकार,
(SoEPR-NIRDPR)

"पंचायत दर्पण" पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया से ग्राम पंचायत की विविध स्रोतों (करारोपण) से दो गुना से अधिक बढ़ी आय

(ग्राम पंचायत, पारडसिंगा, जनपद पंचायत सौसर, जिला पांढुर्ना, मध्य प्रदेश की एक केस स्टडी)

मध्यप्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में करारोपण से आय अर्जित करना ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी चुनौती है, इस कार्य हेतु ग्राम पंचायतों को कई कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है, इन चुनौती एवं कठिनाइयों का सामना कर प्रदेश की कुछ पंचायतें सफल रही है, इनमें से मध्य प्रदेश की एक ग्राम पंचायत पारडसिंगा है । ग्राम पंचायत पारडसिंगा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा रेखा के नजदीक का एक दूरस्थ ग्राम है। पारडसिंगा मध्य प्रदेश के पांढुर्ना जिले के जनपद पंचायत–सौसर की एक ग्राम पंचायत है, यहाँ की कुल जनसंख्या 4200 एवं कुल मतदाता संख्या 3135 है । ग्राम पंचायत में 20 वार्ड है, ग्राम पंचायत के सरपंच श्री भोजराज धोतके, उपसरपंच श्रीमती अर्चना घायवट, जनपद सदस्य श्रीमती ममता गायकवाड, सचिव श्री अनिल इधाते, ग्राम रोजगार सहायक श्री राकेश राउत तथा ग्राम पंचायत मे कर्मचारी कि संख्या 07 है ।

ग्राम पंचायत पारडसिंगा में वर्ष 2021 से पूर्व पंचायत दर्पण पोर्टल की सही जानकारी के अभाव में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कर संग्रह नहीं किया जाता था। ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक के संयुक्त प्रयासों से पंचायत दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन करारोपण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई । पोर्टल में सभी प्रकार के करदाताओं का पंजीयन किया गया। पंजीयन के पश्चात पोर्टल से ऑनलाइन बिल निकालकर ग्राम के कुछ करदाताओं के घर पर दिया जाना प्रारंभ किया गया। करदाताओं के घर पंचायत कर्मचारी द्वारा घर घर जाकर बिल हर माह पहुचाने लगे जिससे ग्रामवासियो में पंचायत के समस्त कर दिये जाने के प्रति जागरूकता आई और जबाबदेही बढने लगी। ग्राम पंचायत के करदाताओं ने बिल देखकर हर माह का बिल भुगतान करने हेतु पंचायत भवन में आने लगे जिससे पंचायत की आय में वृद्धी होने लगी।

ग्राम पंचायत पारडसिंगा में विगत 6 वर्षों में करारोपण से प्राप्त आय

वर्ष	करारोपण से आय
2019-20	318480/-
2020-21	362580/-
2021-22	737782/-
2022-23	614230/-
2023-24	530415/-
2024-25	868703/-
कुल आय	3432190/-

नियमित कर जमा करने वाले कर दाताओं का ग्राम पंचायत करती है सम्मान

ग्राम पंचायत द्वारा नियमित एवं समय पर कर जमा करने वाले करदाताओं का सम्मान किया जाता है । ग्राम पंचायत इन कर दाताओं का प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीफल एवं शाल देकर समानित किया जाता है । यह एक कारण है कि ग्रामीणों में पंचायत में कर जमा करने में बढ़ोत्तरी हुई है ।

भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त भार लिये जाने का किया प्रावधान

प्रतिमाह जो भी ऑनलाइन बिल जनरेट किये जाते है उन जनरेट बिल की दिनांक से भुगतान करने हेतु 10 दिन की समयावधि दी जाती है उक्त समयावधि में बिल भुगतान नहीं करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त भार लिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से कर दाता एक दबाव महसूस करते है और समयावधि में बिल भुगतान करने हेतु पंचायत भवन में आते है। कुछ करदाता अंतिम तिथि के बाद बिल भुगतान हेतु आते है तो उन करदाताओं से अधिभार लेकर बिल भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत पारडसिंगा में कुल करदाता 730 है जिससे पंचायत की कुल आय प्रतिमाह लगभग 60000 रूपये होती है।

रजिस्टर में ऑफलाइन एंट्री की जाती थी... ग्रामीणों को नहीं था विश्वास

वर्ष 2021 के पहले कर वसूली का ऑफलाइन कार्य किया जाता था। रजिस्टर के माध्यम से ऑफलाइन एंट्री की जाती थी जिससे पंचायत की आय में कमी होती थी। इसका मुख्य कारण ग्रामीणों को विश्वास नहीं था।

ऑनलाइन माध्यम से कर लेने की सुविधाः– ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम के कर दाताओं की सुविधा के लिए फोन पे. पेटीएम एवं ऑनलाइन बारकोड से कर भुगतान करने की भी सुविधा दी गई है ।

नियमित कर भुगतान नहीं करने वालो करदाताओ के लिए आगामी रणनीतिः— ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव एवं ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा आगामी पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया जायेगा जिसमे नियमित कर भुगतान नही करने वाले करदाताओं के लिए एक साथ राशि का भुगतान करने पर ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान राशी में 10 प्रतिशत छुट का प्रावधान रखा जायेगा जो नियत तिथि तक देय होगा।

चुनौतियां :—

ग्राम पंचायत मे कर संग्रह हेतु कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो निम्न है—

- कर जमा करने के संबंध मे ग्रामीणो मे जागरूकता का अभाव होना ।
- जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत स्टाफ को अधिनियम की पूर्ण जानकारी का अभाव होना ।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र मे निवासरत लोगो द्वारा पूर्व मे कर नहीं दिये जाने की आदत ।
- कम कर या कर नहीं लिए जाने हेतु राजनैतिक दबाव का होना ।
- सरपंच / सचिव एवं पंचायत प्रतिनिधियों के नजदीकी लोगो का कभी कभी कर नहीं दिया जाना ।
- कई पुराने /कच्चे मकान मे निवासरत लोगो से कर नहीं मिलना ।
- पूर्व सरपंचो द्वारा कर नहीं लेने का बार बार जिक्र होना ।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठान/संस्थानो द्वारा कर नहीं दिया जाना ।

अधिक से अधिक कर संग्रहण हेतु ग्राम पंचायत की आगामी योजना

- कर वसूली हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मानव संसाधन की व्यवस्था करना ।
- ग्राम पंचायत क्षेत्र के बड़े प्रतिष्ठान /संस्थानो द्वारा कर लिया जाना प्रारम्भ करना ।

निष्कर्ष :—

ग्राम पंचायत पारडसिंगा मध्य प्रदेश के समक्ष एक बहुत बड़ा उदहारण है जहाँ पर ऑफ लाइन कर संग्रहण से ऑन लाइन कर संग्रहण कर दो गुना से ज्यादा आय अर्जित की जा रही है । ऐसे ही प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायत ऑन लाइन प्रक्रिया आरम्भ कर , कर संग्रहण से आय बढ़ा सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती है।

जयप्रकाश सूर्यवंशी
क्षमतावर्धन सलाहकार,
(SoEPR-NIRDPR)

समग्र विकास, नवाचार एवं सुशासन का सशक्त मॉडल ग्राम पंचायत बमीठा, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

परिचय एवं पृष्ठभूमि:

ग्राम पंचायत बमीठा, जनपद पंचायत राजनगर, जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) में समग्र, समावेशी एवं सतत ग्राम विकास के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यह पंचायत विकासखंड राजनगर से 13 kms की दूरी पर सतना पन्ना मार्ग पर स्थित है, पूर्व में पंचायत को स्वच्छता, जल निकासी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वित्तीय सेवाओं एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इन चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित करते हुए पंचायत ने विकास की एक सशक्त एवं सतत दिशा निर्धारित की। लगभग 700 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैली इस ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 9891 है, जिसमें 5021 मतदाता शामिल हैं। पंचायत क्षेत्र में 3 आंगनवाड़ी केंद्र एवं 6 विद्यालय संचालित हैं।

नेतृत्व एवं प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण:

ग्राम पंचायत बमीठा की सफलता का मूल आधार सरपंच श्री सनत मंजू जैन की स्वावलंबी सोच, दृढ़ निश्चय एवं दूरदर्शी नेतृत्व है। सचिव श्री राजनारायण रैकवार एवं ग्राम रोजगार सहायक श्री भरत नारायण प्रताप द्विवेदी के समन्वित प्रयासों से पंचायत में पारदर्शी, उत्तरदायी एवं तकनीक–सक्षम प्रशासन विकसित हुआ है। पंचायत भवन को उच्च विकसित, सुव्यवस्थित एवं तकनीकी रूप से सुसज्जित किया गया है, जहाँ से शासकीय

योजनाओं का पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। पंचायत आज 24×7 सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर रही है, जिससे नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान हो रहा है।

प्रमुख गतिविधियाँ एवं विकासात्मक पहलें

वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्ही.बी. राम (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मनरेगा) के अंतर्गत लगभग ₹4.95 लाख की लागत से नाला, स्ट्रीट मेंटेनेंस एवं CBT निर्माण कार्य कराए गए, जिससे ग्राम में जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ हुई और स्वच्छता की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया। इसके पूर्व निर्माण वर्ष 2023–24 मेंयोजना के अंतर्गत लगभग ₹24.50 लाख की लागत से पोषण वाटिका क्रमांक 2 एवं क्रमांक 3 का निर्माण कराया गया, जिनमें लगभग 4500 फलदार पौधों का रोपण किया गया। इन पौधों का शत–प्रतिशत जीवित रहना पंचायत की प्रभावी निगरानी एवं समुदाय की सहभागिता को दर्शाता है। यह पहल पोषण सुरक्षा, हरित आवरण विस्तार एवं आजीविका संवर्धन का उत्कृष्ट उदाहरण है।

पाँचवें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में लगभग ₹2.45 लाख की लागत से पंचायत भवन परिसर में "माँ की बगिया" का निर्माण कराया गया। यहाँ विभिन्न खाद्य समूहों की सब्जियों एवं फलों का उत्पादन किया जा रहा है। इस बगिया का सौंदर्यीकरण कचरे एवं फेंकी गई प्लास्टिक पानी की बोतलों के पुनः उपयोग से किया गया है, जो स्वच्छता एवं नवाचार का प्रेरक मॉडल है। साथ ही छोटे बच्चों वाली महिलाओं के लिए शिशु क्रेच की व्यवस्था कर महिला हितैषी दृष्टिकोण को भी सुदृढ़ किया गया है।

ग्राम पंचायत बमीठा में श्मशान घाट का भी सुव्यवस्थित एवं गरिमामय विकास किया गया है। श्मशान घाट परिसर में अर्थी रखने हेतु पृथक एवं उपयुक्त स्थान, अंतिम संस्कार से संबंधित आवश्यक सामग्री रखने की समुचित व्यवस्था तथा शवदाह के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक ढाँचा विकसित किया गया है। ग्राम पंचायत बमीठा के श्मशान घाट में जल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पर्कुलेशन टैंक (चेकडैम) का निर्माण कराया गया है तथा व्यापक वृक्षारोपण कार्य किया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ क्षेत्र का सौंदर्य भी बढ़ा है। इसके अतिरिक्त ग्राम में जगह–जगह वाटर सोक पिट का निर्माण कर अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं भूजल संरक्षण को मजबूती प्रदान की गई है।

नागरिक सुविधाएँ एवं वित्तीय समावेशन :

ग्राम पंचायत बमीठा में भारतीय बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, एक्सिस बैंक एवं सहकारी मर्यादित बैंक की शाखाओं की स्थापना से ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है तथा ग्राम स्तर पर आर्थिक गतिविधियाँ सशक्त हुई हैं। पंचायत का आगमन केंद्र एवं परिसर अपने सुव्यवस्थित स्वरूप, दीवार पेंटिंग एवं दीवार लेखन के कारण पूरे राजनगर विकासखंड में एक आकर्षण का केंद्र बन गया है।

शिक्षा, बाल हितैषी एवं महिला सशक्तिकरण पहलें :

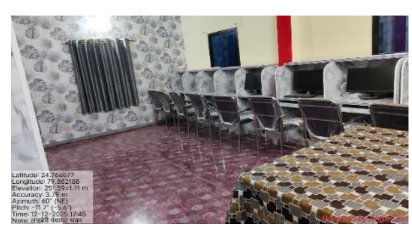

ग्राम पंचायत द्वारा आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा ग्राम स्तर पर ही उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ खेल उद्यान का निर्माण कर बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत थीम–3 "बाल

हितैषी पंचायत" के तहत आंगनवाड़ी, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की शत–प्रतिशत उपस्थिति के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण(मध्यान्ह भोजन) योजना का गुणवत्तापूर्ण संचालन, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सक्रिय समन्वय तथा शिक्षकों द्वारा रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक शिक्षण से बाल विकास के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

ग्राम पंचायत बमीठा में महिला एवं बाल विकास विभाग का परियोजना स्तरीय कार्यालय स्थापित है, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं की निरंतर एवं प्रभावी निगरानी की जा रही है। विद्यालयों में जेंडर समानता सुनिश्चित करने हेतु महिला शिक्षकों की उपस्थिति, माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता एवं पृथक प्रसाधन सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं विभागीय समन्वय :

स्वयं की आय (OSR) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता कर, संपत्ति कर, बाजार बैठकी एवं पार्किंग कर से प्रतिवर्ष लगभग ₹4 लाख की आय अर्जित की जा रही है। इसके अतिरिक्त स्थानीय दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं होटलों से कर वसूली कर पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया गया है। पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच सकारात्मक, सक्रिय एवं प्रभावी समन्वय स्थापित है, जिसके कारण योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो रहा है।

समग्र स्वच्छता, जल संरक्षण एवं व्यवहार परिवर्तन पहल:

ग्राम पंचायत बमीठा में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सार्वजनिक स्थलों पर कचरा संग्रहण बॉक्स एवं नालियों का निर्माण किया गया हैं तथा घर–घर कचरा संग्रहण के लिए कचरा गाड़ी की व्यवस्था की गई है। जल संरक्षण एवं पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कुआँ/बावड़ी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही ग्राम में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता बनाए रखने एवं खुले में शौच की प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए है

<u>**निष्कर्ष :**</u> समेकित प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत बमीठा में नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह सफलता सरपंच की दूरदर्शी सोच, समुदाय की सक्रिय भागीदारी तथा विभिन्न विभागों के प्रभावी समन्वय का प्रतिफल है। ग्राम पंचायत बमीठा आज समग्र विकास, नवाचार एवं सुशासन का एक अनुकरणीय मॉडल है, जिसे जिला एवं राज्य स्तर पर अन्य ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है

श्रीमती लवली मिश्रा,
संकाय सदस्य